न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– डॉ हरीतिमा आर0ए0एस0

वाद सं0 447 सन 2017

अनवान :–

1. जीतसिह पुत्र लक्ष्मणदास जाति कमो साकिन गोगामेडी तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. बलवीरसिह 2 गुरदीप पि0 लक्ष्मणदास जाति कमो साकिन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. वीरोदेवी पत्नी लक्ष्मणदास जाति कमो साकिन गोगामेडी तहसील नोहर।
4. रेशमा 5 विधादेवी 6 दर्शनादेवी 7 विमला पि0 लक्ष्मणदास जाति कमो साकिन गोगामेडी तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 04.08.2017

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत जरिये अधिवक्ता वाद इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 44/37 की कुल तादादी 3.0360हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 51 हिस्से के लक्ष्मणदास खातेदार काश्तकार थे व रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 66/53 की कुल तादादी 1.5810हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 60 हिस्से के लक्ष्मणदास खातेदार काश्तकार थे इसीप्रकार चक 5 जीजएम तहसील नोहर के खाता संख्या 130/102 की कुल तादादी 5.8940हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 220 हिस्से के लिछमणदास खातेदार काश्तकार थे। लक्ष्मणदास पुत्र चान्दीराम फोत हो चुके है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम विरास्तन नामान्तकरण दर्ज हो चुका है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की संगी बहने है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 का जितना भी हक हिस्सा था वह वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का ही हक हिस्सा है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज ना होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया किन्तु प्रतिवादीगण स्वय जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के कथनों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता लक्ष्मणदास के देहान्त होने पर विरास्तन से वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 , वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर वादी को सुना गया।

वादी के अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 44/37 की कुल तादादी 3.0360हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 51 हिस्से के लक्ष्मणदास खातेदार काश्तकार थे व रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 66/53 की कुल तादादी 1.5810हैक भूमि में से सयुक्त

तौर से 60 हिस्से के लक्ष्मणदास खातेदार काश्तकार थे इसीप्रकार चक 5 जीजएम तहसील नोहर के खाता संख्या 130/102 की कुल तादादी 5.8940हैक्ट भूमि में से सयुक्त तौर से 220 हिस्से के लिछमणदास खातेदार काश्तकार थे। लक्ष्मणदास पुत्र चान्दीराम फोत हो चुके है एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम विरास्तन नामान्तकरण दर्ज हो चुका है एवं प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की संगी बहने है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 का जितना भी हक हिस्सा था वह वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का ही हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआहै इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है वादी व प्रतिवादीगण की सहमति के अनुसार वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता लिक्ष्मणदास के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी का कथन है कि वादभूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता के देहान्त होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज है जबकि प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहने है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सम्बध में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी व प्रतिवादीगण ही आपसी सहमति व दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 44/37 की कुल तादादी 3.0360हैक्ट भूमि में से सयुक्त तौर से 51 हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 7/8 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 66/53 की कुल 1.5810हैक्ट भूमि में से सयुक्त तौर से 60 हिस्से में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 बहिब 7/8 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं इसी प्रकार रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 130/102 की कुल तादादी 5.8940हैक्ट भूमि में से सयुक्त तौर से 220 हिस्से में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 7/8 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 का नाम जमाबन्दी से कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

हरीतिमा

(डॉ हरीतिमा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
नोहर(हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जीतसिह पुत्र लक्ष्मणदास जाति कमो साकिन गोगामेडी तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 बलवीरसिह 2 गुरदीप पि0 लक्ष्मणदास जाति कमो साकिन गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

3. वीरोदेवी पत्नी लक्ष्मणदास जाति कमो साकिन गोगामेडी तहसील नोहर।

4. रेशमा 5 विधादेवी 6 दर्शनादेवी 7 विमला पि0 लक्ष्मणदास जाति कमो साकिन गोगामेडी तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संख्या 447 सन 2017 निर्णय दिनांक 04.08.2017
वाद अन्तर्गत धारा 88,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आज यह वाद मुझ डॉ हरीतिमा उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में निणार्थ प्रस्तुत होने पर वाद का वादी साक्ष्य सबुतो एवं वादी व प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 44/37 की कुल तादादी 3.0360हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 51 हिस्से में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 7/8 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 66/53 की कुल 1.5810हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 60 हिस्से में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 बहिब 7/8 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1/8 हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं इसी प्रकार रोही मौजा चक 5 जीजीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 130/102 की कुल तादादी 5.8940हैक भूमि में से सयुक्त तौर से 220 हिस्से में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 7/8 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 3 अकेली 1/8 हिस्से के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 का नाम जमाबन्दी से कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.08.2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

हरीतिमा

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)